राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः02.02.2015

परिपत्र–10

बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत सम्पूर्ण राज्य में परिवारो के बैंक खाते खुल चुके है। अतः इस कार्यालय के परिपत्र–1 के बिन्दु संख्या 12 (iv) में वर्णित प्रक्रिया में आंशिक संशोधन कर, अब भामाशाह योजना के अन्तर्गत नामांकन के लिए आने वाली प्रत्येक महिला मुखिया का नामांकन से पूर्व किसी भी कोर बैंकिंग समर्थ (CBS) बैंक में खाता होना आवश्यक है।

यदि नामांकन से पूर्व परिवार की महिला मुखिया का बैंक खाता नहीं है तो परिवार द्वारा पहले किसी भी नजदीकी कोर बैंकिंग समर्थ (CBS) बैंक शाखा/बैंकिंग संवांदकर्ता (BC)/सहकारी बैंक की शाखा में बैंक खाता खुलवाकर ही भामाशाह नामांकन हेतु शिविर/ ई–मित्र/स्थाई केन्द्र पर आने हेतु प्रेरित किया जाए। इस हेतु शिविर प्रभारी द्वारा संबंधित बैंक से समन्वय कर अथवा शिविर में उपस्थित बैंक के अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही संपादित करवाई जाए।

अब परिवार की मुखिया के बैंक खाते की प्रविष्ठि किए बिना भामाशाह नामांकन संभव नहीं होगा। शिविर में बैंक प्रतिनिधि द्वारा बैंक खाता खोलने के लिए फॉर्म भरवाने की स्थिति में परिवार द्वारा खाता संख्या प्राप्त होने के पश्चात् ही ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से निःशुल्क नामांकन करवाया जा सकेगा।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
8. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग